

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2026-2027)****Signature Not Verified**Digitally signed by: Mr Chitarash Kumar Mittal
Reason : SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-07-2026 17:09:17

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26070130019

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-JUL-2026

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
800	अन्य व्यय	10	कांवड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान
00	-		

2	2	1	7	8	0	8	0	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	7000000	0	7000000
	योग	0	7000000	0	7000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 70,00,000 (Rupees Seventy Lacs Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2607:0003

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

411652
संख्या- /IV-3/2026-06(09)/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: ०८ जुलाई, 2026

विषय-कावंड मेला-2026 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्र संख्या-2011/21-1 (2025-26), दिनांक 01.07.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कावंड मेला-2026 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0-
दिनांक जुलाई, 2026 के अनुसार रु0 70.00 लाख (रु0 सत्तर लाख रुपये मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वहन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि में से रु0 20.00-20.00 लाख जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून तथा रु0 30.00 लाख जिलाधिकारी, पौड़ी को तत्काल आवंटित की जायेगी।
- (ii) कावंड मेला-2026 की व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि की मांग के सापेक्ष अपने स्तर से समीक्षा करते हुये समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये धनराशि व्यय की जाए। यदि नियमानुसार किसी निर्माण कार्य आदि के आंगणन के सापेक्ष शासन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तो उसका प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iii) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- (iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।
- (v) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) 15 दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाए।
- (vi) जिस कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जायेगी, उसका सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित हो एवं उसी के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान की जाए।
- (vii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में सम्बन्धित

विभाग से प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

- (viii) स्वीकृत धनराशि से किये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण किया जाए तथा विभागवार विवरण प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराया जाए।
- (ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किये जाने वाले कार्यों के वित्तीय अनियमितता एवं कार्य की गुणवत्ता में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- (x) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। उक्त अनुदान से अधिक व्यय किये जाने की स्थिति में किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
- (xi) यात्रा, टेलीफोन एवं पेट्रोल आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।
- (xii) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 (संशोधित), मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाय।
- (xiii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-384289/E-94611/09(150)2019 / XXVII(1)/2026, दिनांक 01 अप्रैल 2026 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (xiv) आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रपत्र-10 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 10-कावंड मेले के आयोजन हेतु अनुदान की मानक मद 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-384289/E-94611/09(150)2019/XXVII(1)/2026, दिनांक 01 अप्रैल 2026 में निहित प्राविधानों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 08-07-2026
15:54:02

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या- ⁴¹¹⁶⁵² (1)/IV-3/2026-06(09)/15, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी/देहरादून/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।